SHRI V. GOPALSAMY : Without disclosing his identity, Sir, if the Minister gets himself admitted there, then only he will know the conditions there ... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: But he is healthy. So, why should he go there ?...(*Interruptions*)..

SHRI M. L. FOTEDAR : Sir, I have all respect for Mr. Upendra. I know that he was admitted in a private ward. I would have liked his going to a common ward and seeing the things for himself and then he should have given his opinion (*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY : Sir, he should have gone there once..(*Interruptions*)..without disclosing his identity.

SHRI M. L. FOTEDAR : If he had gone there, nobody would have recognised him. (*Interruptions*)..At least when I go there, some people will recognise me..(*Interruptions*)..At least he would have got the best treatment..(*Interruptions*)..

SHRI P. UPENDRA : I am not talking about the treatment, but I am talking about the conditions there...(*Interruptions*)...

SHRI M. L. FOTEDAR : You have mentioned about the restoration of the referral character of the Institute. I made a commitment in the Lok Sabha yesterday and I reiterate firmly that commitment that I have taken a decision and I will implement it and the referral status of the All-India Institute of Medical Sciences will be restored within two or three years. That is why we are having a most modern scr ning OPD. At this time, the OPD in the All India Institute of M dical Sci nc s c n cat r only to 600 people ver day. It was meant for that Now, we are having an OPD which will cater to a minimum, on an average of 5,000 outdoor patients per day, and we will have all the super-specialities there. Whenever it is necessary that a patient has to be referred to the All India Institute of Medical Sciences, the AIIMS will be there.So,we are taking the necessary steps for strengthening, for improving, and for upgrading the All India Institute of Medical Sciences because it is a premier institute in the country and its excellence has to be restored. I can assure this House that we are very bold enough to take such decisions, and we have taken this.

MR. CHAIRMAN : Question No. 183.

Use of Fluoride

*183. CHOWDHRY HARI SINGH : SHRI KRISHAN LAL SHARMA

Will the Minister of HELATH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that necessary information concerning the use of fluoride by children was not inculded in the Notification published by the Ministry on 19th April, 1991;

(b) if so, what were the reasons therefor;

(c) whether Government's attention as been drawn to a news item published in this regard in the 'Times of India' dated the 9th October, 1991 entitled 'Fluride a teething menace;

(d) whether Government propose to amend the Notification ; and

(e) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI M.L. FOTEDAR) : (a) to (e) A statement is laid on the table of tee House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) the government had publiised a draft notification on 29-3-1990 for eliciting public comments which inculeded the tollowing provisions :

(i) Floride content in toothpastes shall not be more than 1000 ppm and the content of flouride in terms of ppm shall be mentioned on the tube and carton.

(ii) every tube and carton of the tooth paste shall bear the folloing cautionary note:—

Caution:— Children below 7 years should not be allowed to use fluoride toothpaste.

(iii) Date of expiry should be mentioned on tube and carton.

A large number of comments were received opposing the proposed caution regarding the use of fluoride toothpaste by Chidren below 7 years. The Government, after carefully examining the comments in consultation with the experts, took a deicsion to delete it. The draft notification was, therefore, modified and the final notification was published on 19-4-1991.

†To he question was actually asked on the floor of the House by Shri Krishn Lal Sharma.

(c) yes Sir.

(d)and(e) There is no proposal at present to amend the notification as at present there are no scientific parameters to determine that the presence of fluoride restricted to not more than 1000 ppm in toothpaste would, on balance, be harmful to children below seven years.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड का जो कंटेण्ट है इसकी अनुमति देने की अनिवार्यता क्या है । यह बात सामने आ चुकी है कि इसकी हानियां है और हम यह भी कह रहे हैं कि इसकी एक सीमा होनी चाहिए, सीमा के साथ-साथ यह भी कह रहे हैं कि सात साल से कम उम्र के बच्चों को इसके इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए । अब, या तो मंत्री महोदय ने यह कल्पना की होगी, आर्डिनेन्स या नोटिफिकेशन इस्यू करते समय, कि घर में जो टूथपेस्ट आएगा वह बच्चों के लिए अलग आएगा और बड़ों के लिए अलग आएगा । लेकिन, जो प्रश्न है वह यह है कि फ्लोराइड न तो न्यूट्रीशन के लिए आवश्यक है, न इसकी न्यट्रीशन वेल्यू है यानी इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर इसकी अनिवार्यता क्या थी ? इसकी अनुमति क्यों दी गई ? नम्बर "ए" । नम्बर "बी", आपने यह कहा है कि ट्यूब पर या उसके कार्टन पर यह लिखा जाए कि इसमें 1000 पीपीएम कंटेण्ट है । तो उसको चेक करने की सरकार के पास क्या व्यवस्था है ? क्या हरेक ट्यब, हरेक कार्टन को देखकर, चैंककर फिर आप बाजार भेजने की अनुमति देते हैं या जो बनाने वाली कंपनी है उन पर छोड़ देते हैं कि जो कुछ लिखेगा, वह ठीक होगा ?

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं, जो आवश्यक है, अभी तो यह कहा गया है कि हम 1000 पीपीएम एलाऊ कर रहे हैं, जबकि कई कंपनियां 1500 से 5000 पीपीएम तक उसमें मिला देते हैं । हमारा यह कहना है कि परमीशिबल क्वांटिटि जो है वह 0.15 से 1.00 परसेंट तक होनी चाहिए और जरूरत से ज्यादा क्वांटिटि होनी ही नहीं चाहिए । फिर, आप कह रहे हैं कि सात साल के कम के बच्चों को इसके इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि इसकी अनिवार्यता क्या है और इसको चेक करने के लिए, जो कंटेन उसमें डाला या लिखा है, इसकी क्या व्यवस्था सरकार के पास है ? दूसरा, यह है कि सात साल से कम उम्र के बच्चे इसको इस्तेमाल न करें, इसकी व्यवस्था आप किस प्रकार से करेंगे ?

श्री एम.एल. फोतेदार : सर, आनरेबिल मेम्बर ने कहा कि सात साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको क्यों दिया जाए ? सात साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं,

they are also using this toothpaste. The question is whether this warning should be put on the carton and on the toothpaste or not. Earlier, the decision was taken by the previous Government that it should be put on this. This was the Government of 11 months. Then the 4 months Government took another decision that this should be deleted and only two cautions should be there that in the toothpaste there should be upto 1,000 ppm of fluoride .... (*Interruptions*)

SHRI KRISHAN LAL SHARMA : What has your Government done, which is ruling for the last 40 years?

श्री एम.एल. फोतेदार : इसमें जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक राय नहीं बनती । वह यह कहते हैं कि फ्लोराइड होना चाहिए लेकिन एक हजार पी पी एम तक होना चाहिए । वह कहते हैं कि हम सिर्फ बच्चों के लिए जो सात साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कहते हैं क्योंकि उससे उनको नुकसान होता है। फिर भी मैंने इस पर कहा है साइंटिस्ट्स को कि इसको अच्छी तरह से एक्जामिन करें और एक्जामिन करके सभी की एक राय होगी उसी राय पर अमल किया जाए ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं यह पूछ रहा था कि इसकी अनिवार्यता क्या है ? अगर इसको न किया जाए तो इसमें क्या फर्क पड़ता है ?

श्री एम.एल. फोतेदार : मैं आनरेबिल मैम्बर को बताना चाहता हूं कि यूनिटेड स्टेट्स आफ अमेरिका और जितनी डवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर इसको

इस्तेमाल किया जाता है और इस पर कोई तकलीफ या कोई बीमारी नहीं है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : भारत में क्या है ?

श्री कृष्ण लाल शर्मा : यह कहा गया है कि फ्लोराइड के जो कांटेंट्स हैं ये हड्डियों के लिये और दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं । इस बारे में रिपोर्ट्स हैं । इसके बारे में कई जगह कहा गया है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई विधिवत ऐसी कोई कमेटी बनाई है ? और क्या उन साइंटिस्ट्स ने ऐसे आसपेक्ट्स ध्यान में लिये हैं कि हड्डियों और दांतों के लिए फ्लोराइड हानिकारक है ? इस बात को ध्यान में रख कर फिर से मैं अपने क्वेश्चयन को दोहरा रहा हूं...

श्री सभापति : साइंटिस्ट्स की राय मालम कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अमेरिका में अनिवार्यता है वह होगी लेकिन क्या भारत में इसकी अनिवार्यता है ?

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं आनरेबल मेम्बर से इत्तफाक यह करता हूं हूं कि फ्लोराइड की डेफिशियंसी है यह हार्मफुल है । लेकिन साइंटिस्ट्स ने यह कहा था कि यह कार्रवाई की जाए कि इस पर लिखा जाए । बाद में साइंटिस्ट्स ने यह रिपोर्ट दी कि इसको न रखा जाए । लेकिन इस पर मैं मुत्तमईन नहीं हूं क्योंकि दो साइंटिस्टों की डाइवर्जेंट ऑपिनियन है, मुखतलिफ राय है । इसलिए मैंने साइंटिस्टों की कमेटी बनाई है । उनको कहा है कि एक महीने के अंदर मुझे बताया जाए कि इसमें रखा जाए या न रखा जाए ।

श्रीमती वीणा वर्मा : मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहती हूं कि यह जो आपने चेतावनियों की सूचना दी है कि यह चेतावनी लिखी होनी चाहिए टूथपेस्ट पर तो ये चेतावनियां क्या लिखी जा रही हैं इसकी कोई जानकारी है आपके पास ? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहती हूं कि जो आपने बताया कि आपत्तियां प्राप्त हुई तो उन आपत्तियों पर क्या एक्शन लिया गया ? क्या उन कम्पनीज पर कोई एक्शन लिया गया ? क्या उनको बेन करेंगे ?

श्री एम०एल० फोतेदार : मैंने पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया है कि तीन आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ।

I repeat the point which has been mentioned in the written reply. Fluoride content in toothpaste shall not be more than 1000 ppm.

श्री सभापति : यह तो आपके जवाब में हैं । लोगों की क्या आपत्तियां थी और उन पर क्या किया यह जानना चाहती हैं ।

श्री एम०एल० फोतेदार : मैंने यह कहा है कि मैंने इस पर साइंटिस्टों की कमेटी बनाई थी । वह कहते हैं कि यह हार्मफुल नहीं है । फिर भी मैं मुत्तमईन नहीं हूं । मैंने आज ही एक नई कमेटी साइंटिस्टों की बनाई है । उनसे कहा है कि वह एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दें ।

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, क्योंकि यह सात साल की उम्र तक के बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यह बिलकुल असंभव चीज लगती है । यह इसलिए कि सात साल के लिए अलग टुथपेस्ट और दस साल वालों के लिए अलग टुथपेस्ट यह संभव मझे नहीं लगता । भले ही आप इस पर लेबल लगा दें जैसे कि सिगरेट पर लगा होता है कि यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर साइंटिस्टों की राय में भिन्नता है तो हम इसको रोके क्यों नहीं कुछ समय के लिए ? जब उनकी राय एक हो जाए और आपको यह ठीक लगे तब इसको शुरु कर दीजिए । तब तक बंद क्यों नहीं कर देते इसको मैं यह जानना चाहता हूं ।

SHRI M.L. FOTEDAR : A majority of the scientists are of the opinion that it is not harmful.

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इसमें क्या माइनोरिटी–मैजोरिटी का सवाल होगा ?

श्री सभापति : डाक्टरों की राय अलग-अलग है । वह पता लगा रहे हैं । एक कमेटी बनी है और वही कमेटी तय करेगी । हमारी यह राय है कि जब तक यह नयी कमेटी अपनी राय न दे, तब तक उसे रोक दिया जाए ।

श्री माखन लाल फोतेदार : मैं आनरेबल मेंबर को यह बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो साइंटिस्ट्स की राय है वह मुत्तफिकाराय है, इससे कोई हार्म नहीं होगा । लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं । मैं कहता हूं कि जब यह सवाल उठा दिया गया तो इस पर फिर गौर किया जाय और गौर करने के बाद इस पर फाईनल डिसीजन लिया जाए ।

डा० बापू कालिदास : ते साल साल का समय निकाल दीजिए । सबके लिए ही तो करिए नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : We need not be guided by China or any other country as far as the use of tooth-paste is concerned. Will the hon. Minister tell us about the harmful effects on those who use tooth-paste without any fluoride content at all ?

SHRI M.L. FOTEDAR : I can tell the hon. Member that I am not the person who can be guided by any other country except the people of India and our Government also is guided only by the people of India and we look only towards the people of India and no other country.

With regard to his question, at present, fluoride is not harmful if it is used up to 1000 ppm in the tooth-paste.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : What are the disadvantages of using tooth-paste without fluoride ?

MR. CHAIRMAN : He is asking what is the harm if there is no fluoride.

SHRI M.L. FOTEDAR : There are dental surgeons who say that it is very good for the teeth. This is what the dental surrrgeons say.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : But what are the disadvantages of using tooth-paste without fluoride ?

SHRI M.L. FOTEDAR : At present, there is no disadvantage.

MR. CHAIRMAN : Next question.

Shortage of express trains on the main line in Tamil Nadu

*184. SHRI M. VINCENT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the shortage of express trains on the main line in Tamil Nadu;

(b) if so, whether Government propose to introduce atleast one super fast express on the main line immediately ; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF) : (a) Five pairs of express trains are adequately serving the existing level of traffic on the main line (metre gauge).

(b) No, Sir.

(c) Due to operational and resource constraints.

SHRI M. VINCENT : Sir, the Minister's reply does not reflect the true situation in Tamil Nadu. The Nellai Express, 119 Up and 120 Down is the only train which connects 15 districts of Tamil Nadu. The Commercial Superintendent of the Southern Railway announced in 1989 that a Superfast Express train between Madras and Tirunelvely would be introduced shortly. But it is a matter of regret that this Superfast train has not been introduced. Madras to Madurai a distance of 450 Kms is covered in 7 hours and 40 minutes by the Vaizai Express, whereas the Nellai Express, on the same track, takes 11 hours and 30 minutes for the same distance of 450 Kms. The Nellai Express is the only Express train from the southern tip of the country to Madras City. It takes 16 hours to cover a distance of 600 Kms from Madras to Tirunelvely. In 1970, this train used to leave Madras at 18.15 hrs. and reach Tirunelveli at 8.30 hrs. the next morning. But today, after a lapse of 20 yeats, with all improvements and sophistication, the same train starts one hour early and reaches one hour late. This is the fate and improvement of Nellai Express in Tamil Nadu—two hours' delay after 20 years of modernisation.